



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 माघ, 1946 (श०)

संख्या - 94 राँची, सोमवार,

17 फ़रवरी, 2025 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

7 फ़रवरी, 2025

सं०-09/नि०सु० (07)-29/2017-871--निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम-2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम-29) की धारा-25 की उप धारा (01) के प्रावधानों के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या-2788, दिनांक 16.05.2024 द्वारा श्रीमती पूनम प्रभा पूर्ति, अपर सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को पदेन नियंत्री पदाधिकारी घोषित किया गया है ।

कार्मिक, प्रशासनिक तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-8298, दिनांक-24.12.2024 द्वारा श्रीमती पूनम प्रभा पूर्ति, अपर सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को दिनांक-01.01.2025 के प्रभाव से विशेष सचिव के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई है ।

उक्त अधिसूचना के आलोक में नियंत्री पदाधिकारी के रूप में घोषित श्रीमती पूनम प्रभा पूर्ति, अपर सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के स्थान पर श्रीमती पूनम प्रभा पूर्ति, विशेष सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को पदेन नियंत्री पदाधिकारी किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।